अपनी ट्रांसमिशन लाइनें बिछा सकेंगे उद्योग

लखनऊ,विशेष संवाददाता। भारत सरकार ने उद्यमियों और 10 से 25 मेगावाट तक बिजली पैदा करने वाले लोगों की ग्रिड तक बिजली पहुंचाने की जटिलताओं को समाप्त कर दिया है। ये लोग ग्रिड से जोड़ने के लिए अपना (समर्पित) ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकेंगे। इसके लिए अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं ओपेन एक्सेस से बिजली लेने वाले उद्यमियों के लिए ओपेन एक्सेस की दरों में भी कमी आएगी।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने नियमावली में इन व्यवस्थाओं को शामिल कर दिया है। जिसमें समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। लाभ यह होगा कि उद्योग तेजी से नवीकरण ऊर्जा अपनाएंगे। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा: हालांकि बिजली महकमे से जुड़े लोगों का मानना है कि निजी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना खर्चीला काम है, लिहाजा कम शुल्क देकर ट्रांसमिशन की सुविधा उद्योग लेते रहेंगे। इस बदलाव से बंदिशें समाप्त होंगी और ऊर्जा क्षेत्र में सीधे बाजार जुड़ेगा। लोग निवेश करेंगे।

नए नियम में प्रावधान है कि उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाला व्यक्ति या उपभोक्ता, जिसका लोड अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के मामले में 25 मेगावाट और इंट्रा-स्टेट के मामले में 10 मेगावाट से कम न हो इसका लाभ ले सकेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम को ग्रिड से जुड़ने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना, संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।

अतिरिक्त सरचार्ज समान रूप से कम किया जाएगा: नया नियम अन्य बातों के साथ यह भी निर्धारित कर रहा है कि सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए अतिरिक्त सरचार्ज समान रूप से कम किया जाएगा।

इस नियम से कई तरह के लाभ होंगे

- बड़े उपभोक्ताओं और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को ग्रिड से आसानी और तेज गति से जोड़ा जा सकेगा
- उचित ओपन एक्सेस शुल्क सुनिश्चित होने से प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली प्राप्त करने वाले उद्योगों व अन्य उपभोक्ताओं को लाभ होगा
- ऐसी सुविधा की अनुमति देने से देश में थोक उपभोक्ताओं की एक नई श्रेणी उभरेगी, जो अधिक किफायती बिजली और बढ़ी हुई ग्रिड विश्वसनीयता का लाभ लेगी